57

रिव्यु 825-III/08

सदस्य
न्यायालय श्री मान् राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

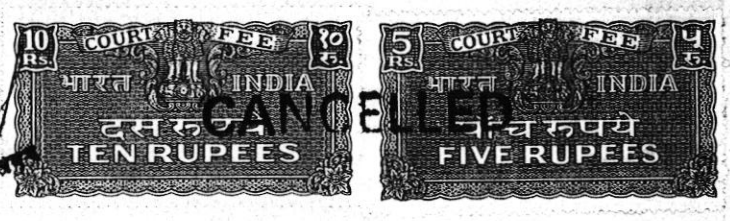

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES — COURT FEE भारत INDIA पांच रुपये FIVE RUPEES
CANCELLED

श्री कमलेश प्रसाद द्विवेदी द्वारा आज दि. 17-07-08 को प्रस्तुत

1. महाबली सिंह (मृतक) वारिसान पत्नी भानमती उम्र 65 वर्ष
2. वीरेन्द्र सिंह तनय स्व0 महाबली सिंह उम्र 40 वर्ष
3. राघवेन्द्र सिंह तनय स्व0 महाबली सिंह उम्र 35 वर्ष,
4. बृजलाल सिंह
5. वृजभान सिंह दोनो के पिता स्व0 बजरंग सिंह
6. कृष्णपाल सिंह
7. राजेन्द्र सिंह दोनो के पिता बंशराज सिंह
8. कुंअरनिया पत्नी स्व0 बंशराज सिंह

सभी निवासी ग्राम सोनरा तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0)

-----आवेदकगण

बनाम

रामलाल सिंह तनय रामगरीब सिंह निवासी ग्राम मदयेपुर तहसील हुजूर जिला रीवा (म0प्र0) -------अनावेदक

आवेदन पत्र वावत् किये जाने पुर्नविलोकन आदेश श्री मान् सदस्य महोदय श्री डी0 सिंघई प्रशा0 सदस्य राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर दिनांक 10-10-2007 प्रकरण क्रमांक 1569/3/2000 (अपील)

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र.भू.राजस्व संहितासन् 1959 ई0 ।

17.7.08
K. K. Dwivedi
Adv.

मान्यवर,

पुर्नविलोकन आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 825–तीन/08 जिला –रीवा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11–1–18	आवेदक अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। आवेदक के अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया। 2–यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1569–तीन/2000 में पारित आदेश दिनांक 10.10.2007 के विरूद्व प्रस्तुत प्रकरण कमांक रिव्यु 825–तीन/08 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1569–तीन/2000 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 10.10.2007 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु 825–तीन/08 म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं। उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:– अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो	

उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य